न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 53/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय संयुक्त निदेशक एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर

.....*प्रार्थी*

वनाम

1. श्री सुनिल कुमार गर्ग पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गर्ग द्वारा मैसर्स एयर प्लाजा रिटेल हाल्डिंग प्रा0 लि0 (विशाल मार्ट) बेसमेंट मोदी सिटी सेंटर, स्टेशन रोड़, ब्यावर।
2. श्री प्रदीप कुमार सेन पुत्र श्री तेजमल सैन द्वारा मैसर्स एयर प्लाजा रिटेल हाल्डिंग प्रा0 लि0 (विशाल मार्ट) बेसमेंट मोदी सिटी सेंटर, स्टेशन रोड़, ब्यावर।
3. मैसर्स एयर प्लाजा रिटेल हाल्डिंग प्रा0 लि0 (विशाल मार्ट) बेसमेंट मोदी सिटी सेंटर, स्टेशन रोड़, ब्यावर।

.....*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 52 के तहत

उपस्थित :–श्री शोईबुद्दीन खान, वकील अप्रार्थीगण की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक– 29.12.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने मिसब्राण्ड सूपी नूडल्स (प्रोप्राईटरी फूड) विकय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (।) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्याय निर्णायक अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 05.06.2015 को 01.00 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स मैसर्स एयर प्लाजा रिटेल हाल्डिंग प्रा० लि० (विशाल मार्ट) बेसमेंट मोदी सिटी सेंटर, स्टेशन रोड़, ब्यावर पर पहूँचे श्री सुनिल कुमार गर्ग पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गर्ग मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को सूपी नूडल्स (प्रोप्राईटरी फूड) का विक्रय कर रहे थे। मौके पर लगभग 50 पैकिट सूपी नूडल्स (प्रोप्राईटरी फूड) के रखे हुए थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान सूपी नूडल्स (प्रोप्राईटरी फूड) में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 8 पैकिट (कुल 308 ग्राम) सूपी नूडल्स (प्रोप्राईटरी फूड) वास्ते नमूना जॉच हेतु 480/– रूपयें श्री सुनिल कुमार गर्ग को नगद देकर गवाह श्री रमेश चन्द्र सैनी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री सुनिल कुमार गर्ग को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करके खरीदशुदा सूपी नूडल्स (प्रोप्राईटरी फूड) के प्रत्येक पैकिट को अलग–अलग भूरे कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डीओ अजमेर के हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चिपका कर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक एजे/691 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर संयुक्त निदेशक एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एजो/एफएसएसए 2006/15/6795 दिनांक 06.08.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/465/एफएसएसए/2015/482 दिनांक 29.07.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया सूपी नूडल्स (प्रोप्राईटरी फूड) मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 31.05.2016 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 31.05.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 08.07.2016 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 08.07.2016 को अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थीगण ने उन पर लगाये गये आरोपो को सिरे से खारिज करते हुए जवाब नोटिस में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तर्क स्पष्टतः दुर्नियोजित, गलत, भ्रामक एवं सारहीन है। उनका कथन है कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(3) में दिये गये प्रावधानानुसार ''खाद्य विश्लेषक द्वारा यह आवश्यक है कि वह विश्लेषण के लिये किसी नमूने की प्राप्ति की तिथि से 14 दिनों की अवधि में सैम्पलिंग एवं विश्लेषण का तरीका दर्शाते हुए रिपोर्ट की चार प्रतियां प्रस्तुत करे किन्तु वर्तमान प्रकरण में विश्लेषण के लिए खाद्य अधिकारी द्वारा दिनांक 10.06.2015 को नमूना प्राप्त किया गया था जो कि पत्रावली के साथ संलग्न रसीद से स्पष्ट है, लेकिन रिपोर्ट 40

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

दिनों की लम्बी अवधि के पश्चात् दिनांक 31.07.2015 को प्रस्तुत की गई। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक द्वारा 2 माह के असंगत एवं अनुचित विलम्ब के आधार पर ही प्रकरण खारिज योग्य है। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि जिस प्रयोगशाला में खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूने का विश्लेषण किया गया है वह राज्य केन्द्रीय लोक प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान है, जबकि खाद्य विश्लेषक केवल उन्हीं प्रयोगशालाओं में खाद्य नमूनें का विश्लेषण कर सकता है जो कि एन.ए.बी.एल. द्वारा अधिकृत होने के साथ ही खाद्य प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। जैसा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(पी) में परिभाषित किया गया है कि ''खाद्य प्रयोगशाला का आशय केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा कोई अन्य एजेन्सी द्वारा संस्थापित की गई कोई प्रयोगशाला अथवा संस्थान और परीक्षण और अंशाकन राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रयोगशाला द्वारा अधिकृत किया गया हो अथवा धारा 43 के अधीन खाद्य अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त एवं समकक्ष प्रमाणन ऐजेन्सी।'' इस संबंध में उन्होंने हमारा ध्यान डब्ल्यू.पी.एल./1688/2015 पर बोम्बे उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में पास्ता मय मसाला मिक्स का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 (1)(जेड.एफ.)(सी)(आई) के अन्तर्गत मिसब्राण्ड खाद्य है किन्तु उनके द्वारा उक्त उत्पाद को रेकार्ड में बिना कोई ठोस कारण दर्शाये कि उन्होंने क्यों नमूने को मिथ्या छाप वाला माना है उक्त निर्णय पूर्णतया तथ्यों एवं कानून के विरूद्व होने से प्रकरण निरस्त योग्य है। उन्होंने यह भी कथन किया कि डाई पैनी एवं मसाला मिक्स एक बन्द रिटेल पैकेज में एक ईकाई के रूप में एक साथ विक्रय किये जाते है यह पैकेज खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लेवलिंग अधिनियम 2011 के अन्तर्गत अपेक्षितानुसार सभी आवश्यक घोषणा धारण करता है। मसाला मिक्स पाउच उक्त बंद रिटेल पैकेज का एक भाग है और यह स्पष्ट घोषणा करता है कि यह अलग-अलग विक्रय हेतु नहीं है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लेवलिंग रूल्स 2011 के नियम 2.2.1 एवं 2.2.2 की अपेक्षाएं केवल ''प्री पैक्ड फूड'' के संबंध में है। प्री पैक्ड फूड की परिभाषा है कि '' खाद्य जिसे किसी भी प्रकृति के पैकेज में इस प्रकार से रखा जाता है कि इसे बिना फाडे इसके तत्व परिवर्तित नहीं किये जा सकते है और जो कि उपभोक्ता हेतु विक्रय के लिये तैयार है। '' इससे स्पष्ट है कि मसाला मिक्स बाहरी पैक के बिना विक्रय के लिये नहीं है। अतः यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लेवलिंग रूल्स 2011 के नियम 2.2.1 एवं 2.2.4 एवं 7 का उल्लघंन नहीं है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि सनफिस्ट यिप्पी पास्ता धारा 3(1)(जेड.एफ.)(सी)(आई) के साथ पूर्ण अनुपालना में निर्मित किये गये है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व की जा रही कार्यवाही ड्रॉप की जावे। परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन आधारहीन एवं बेबुनियाद है। वरवक्त निरीक्षण अप्रार्थीगण घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे तथा न ही परिवादी द्वारा उनसे किसी भी खाद्य पदार्थ को वास्ते जांच लिया गया। उन्होंने कथन किया कि पत्रावली में न तो उनकी कहीं उपस्थिति दर्ज है न ही उनके हस्ताक्षर अंकित है बल्कि समस्त कार्यवाही श्री सुनिल कुमार गर्ग की उपस्थिति में की गई है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर कार्यवाही ड्रॉप की जावें।

हमने वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन करने के साथ ही न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ एवं चूरू के आदेश दिनांक 28.12.2015, 4.10.2016 एवं 08.11.2016 का भी अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाद्य विश्लेषक ने अपनी जांच रिपोर्ट में नमूना किस कारण से मिसब्राण्ड हुआ है, इसका जांच रिपोर्ट में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, इस कारण केवल खाद्य विश्लेषक के लिख देने मात्र से

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (...) अजमेर

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण के विरूद्व मिसब्राण्ड का प्रकरण बनना नहीं पाया जाता है। परिवाद में वर्णित तथ्यों में परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कही भीं मिसब्राण्ड क्या है एवं किस कारण से है इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा न ही खाद्य विश्लेषक द्वारा भी कोई स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वरवक्त बहस उपस्थित नहीं रहने के कारण राज्य सरकार की ओर से पक्ष नहीं रखा जा सका है।

अतः उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत जबकि प्रार्थी स्वयं अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को औचित्यपूर्ण व तथ्यात्मक रूप से अधिनियम के प्रावधानानुसार सिद्व करने में असफल रहे है, इस प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जब भी वह न्यायालय हाजा में प्रकरण प्रस्तुत करे तब प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी लेकर प्रस्तुत करें तथा वरवक्त बहस न्यायालय में उपस्थित रहकर सरकार की ओर से पैरवी करें। अन्यथा उनके विरूद्व नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने हेतु लिखा जावेगा। इसके साथ ही अप्रार्थीगण को भी निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में उन्हें डाई पैनी एवं मसाला मिक्स के पाउच पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लेवलिंग अधिनियम 2011 की पालना में घोषणा अंकित करे ताकि उपभोक्ता के हित की रक्षा हो सके एवं उपभोक्ता को ज्ञान हो कि वे क्या खा रहे है। आदेशों की पालना सख्ती से की जावे।

आदेश आज दिनांक 29.12.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

कमांक :सरिस्ता/अपर/2016/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2– अभिहित अधिकारी एवं कार्यालय संयुक्त निदेशक एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर

3. मैसर्स एयर प्लाजा रिटेल हाल्डिंग प्रा0 लि0 (विशाल मार्ट) बेसमेंट मोदी सिटी सेंटर, स्टेशन रोड़, ब्यावर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner